

भारतीय न्यायिक


बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

21 DEC 2011

TWENTY RUPEES



मीहम्मद युनुस (स्टाम्प)
ला० नं० - 15/2009
तहसील पटिकर, रायचमर

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रमाण 26
(नियम 4क के लिए)

उत्तराखण्ड

निवाचन क्षेत्र से
(निवाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के

समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं मीहम्मद युनुस पुरु/पत्नी/पत्नी न/ना
45 आयु वर्ष जो रायचमर का / की निवासी हूँ और

उपरिष्ठ निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1 मैं, ऐसे किसी ललित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिराशी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :

(1) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं 181
(2) पुलिस थाना (थाने) रायचमर जिला (जिले) रायचमर राज्य जम्मू

(3) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं (4)

(5) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे नहीं

(6) क्या राशी या कोई कार्यवाही किसी समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सजी गई है / है नहीं

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (2) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत जाने वाले किसी अपराध (अपराधों) में गिनत के लिए शिद्दोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है

(Handwritten signature)

(यदि अगिराक्षी उपर्युक्त रूप में रिजल्टों में चर्चाया गया और दस्तावेज किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (1) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ कोई नहीं
- (2) न्यायालय, जिसने दंडित किया है कोई नहीं
- (3) पुलिस थाना (थाने) कोई नहीं जिला (जिले) कोई नहीं राज्य कोई नहीं
- विवरण, जिसके (जिनके) लिए अपराधी कभी आरोपित किया गया है.....
- (4) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और सख अपराध (सख अपराधों) का संक्षिप्त कोई नहीं
- (5) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे कोई नहीं
- (6) क्या दंडादेश सख अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकें गया है / रोकें गए हैं कोई नहीं

स्थान : 2/1/12
तारीख : 2/1/12

[Signature]
अगिराक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन में ऊपर नामित अगिराक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस प्रपत्र की अवतरतु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

2/1/12 स्थान पर आज तारीख 7/1/12 को सत्यापित किया।

[Signature]
अगिराक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे सख, जो अगिराक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

[Faint Stamp]
[Faint text and illegible markings]